(ख) क्या इन सेवाओं में चयन के लिए लिखित परीक्षा एंव साक्षात्कार के लिए निर्धारित अधिकतम अंकों/ अधिमान के बीच कोई नियत अनुपात हैं; यदि हां,तो उसका ब्यौरा क्या है और उसका क्या औचित्य हैं;

(ग)क्या ये उच्चतम न्यायालय के इन निदेशों के अनुरूप है कि साक्षात्कार और लिखित परीक्षा हेतु कुल अंकों के मध्य अनुपात 1:7 होगा; और

(घ) यदि नहीं,तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक,लोक शिकायत और पंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री एस.आर.बालासुब्रहमण्यन): (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और कतिपय संबद्व सेवाओं में भर्ती,भारत के राजपत्र में अधिसूचित नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित सिविल सेवा-परीक्षा के माध्यम से की जाती है ।

(ख) सिविल सेवा-परीक्षा की वर्तमान योजना,कोठारी-समिति(1974-76) की सिफारिशों पर विचार करके 1976 में शुरू की गई थी । सिविल सेवा(मुख्य) परीक्षा की योजना में साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंक 250 निर्धारित किए गए थे तथा उक्त परीक्षा के लिखित भाग के लिए अधिकतम अंक 1800 निर्धारित किए गए थे । प्रो.सतीश चन्द्र समिति द्वारा परीक्षा की उक्त योजना के संबंध में की गई समीक्षा के फलस्वरूप साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंक बढ़ाकर 300 निर्धारित किए गए और उक्त परीक्षा के लिखित भाग के लिए अधिकतम अंक 2000 निर्धारित किए गए ।

(ग) जी,हां, । साक्षात्कार के अंकों(300 अंक) तथा अधिकतम अंको(2300 अंक) का अनुपात 13.4 प्रतिशत अर्थात् 1:7.67 है,जो निर्दिष्ट अनुपात की तुलना में ठीक बैठता है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मदेनज़र प्रश्न नहीं उठता ।

Security for the Investigating Authorities

•89. SHRI RAM GOPAL YADAV: SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering to provide full security to the authorities investigating different scandals in the country, keeping in view the sensitive nature of their job and the risk involved to them and the members of their families; and

(b) if so, what decision Govemment have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) and (b) Whenever such requests for security from the concerned authorities are received, the States and Union Territories are informed about the apprehensions regarding security of the concerned personnel and are requested to provide necessary security to them.

पंजाब और उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

*90. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण**: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक रोजगार के अवसरों में वृद्वि और गरीबी को दूर करने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजाब और उत्तर प्रदेश को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों को ब्यौरा क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ): (क) और (ख) राज्यों को विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता मुहैया नहीं कराई जाती बल्कि उनके स्वयं के संसाधनों को बढाने के लिए ब्लाक अनुदान के रूप में दी जाती है । तब राज्य विभिन्न क्षेत्रकीय शीर्षो के अंतर्गत अपनी योजना निधियों का आवंटन करने हैं । साथ ही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) भी मुहैया कराई जाती है । इसके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं(बीएमएस) और गंदी बस्तियों के विकास के लिए भी राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है । विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता भी मुहैया कराई जाती है । वर्ष 1996-97 के दौरान पंजाब और उत्तर प्रदेश की मुहैया कराई गई कुल केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार हैं :-